(वाद सं0.-1400/4/9/2022)

<u>04.10.2023</u>

प्रसंगाधीन मामला, बेल्ट्रॉन द्वारा डाटा इन्ट्री ऑपरेटर, के पद पर परिवादी, अनुप राम, की अंचल कार्यालय, भितहाँ (पश्चिमो चम्पारण) में कार्य करने हेतु चयनित करने के बाद, अंचल अधिकारी, भितहाँ (पश्चिमो चम्पारण) द्वारा परिवादी का योगदान स्वीकृत नहीं किये जाने से संबंधित है।

उक्त पर **जिला पदाधिकारी, पश्चिमो चम्पारण, बेतिया** से प्रतिवेदन की मांग की गई। **जिला पदाधिकारी, पश्चिमो चम्पारण, बेतिया** के प्रतिवेदनानुसार परिवादी के पास चयन/नियुक्ति से संबंधित कोई विभागीय पत्र तथा जिला पदाधिकारो, पश्चिमो चम्पारण, बेतिया के कार्यालय से उसके चयन से संबंधित कोई पत्र नहीं होने के कारण दिनांक–21.09.2021 को परिवादी का योगदान स्वीकृत नहीं किया जा सका । बाद में परिवादी के नियुक्ति के संबंध में आश्वस्त हो जाने के बाद दिनांक– 29.03.2022 को परिवादी का डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के पद पर दिये गये योगदान को स्वीकृत कर लिया गया।

जिला पदाधिकारी, पश्चिमो चम्पारण, बेतिया द्वारा परिवादी को जातिसूचक शब्द से संबोधित करने के आरोप को प्रतिवेदन में अस्वीकार किया गया है।

उपरोक्त पर परिवादी से प्रत्युत्तर की मांग की गई। परिवादी अपने प्रत्युत्तर में यह स्वीकार करते है कि उसका योगदान दिनांक–29.03.2022 के प्रभाव से स्वीकृत कर लिया गया है तथा अब सब कुछ सामान्य है तथा किसी तरह का विवाद

नहीं है। उसकी ओर से प्रसंगाधीन परिवाद को वापस लेने का राज्य आयोग से अनुरोध भी किया गया है।

अब जबकि परिवादी के शिकायत का संतोषजनक समाधान हो चुका है तो ऐसी परिस्थिति में परिवादी के अनुरोध को स्वीकार करते हुए प्रसंगाधीन मामले को राज्य आयोग के स्तर से **संचिकास्त** किया जाता है।

तद्नुसार , आज पारित आदेश की प्रति संलग्न करते हुए **परिवादी** को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

उप सचिव